ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

खाता / इन्द्राज दुरूस्ती आवेदन पत्र / रिपोर्ट / आदेश (राज0पु0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

पार्थना पत्र क्रमांक	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील	प्रार्थीगण		सम्बन्धक / वाद शीर्षक: प्रत्यर्थीगण
188/25	136	चाकुड़ा	कपासन	बगली पुत्री इन्दरमल		राज. सरकार
दायर दिनांक	निर्णय दिनांक	नस्थिति दफ्तर	पृष्ठ संख्या	आदेश	कार्यवाही विवरण	
20/09/25	27/09/25					

आवेदन पत्र	पटवारी रिपोर्ट	गिरदावर रिपोर्ट	तहसीलदार रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कपासन / कपासन विषय :– राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में । महोदय, ग्राम चाकुड़ा पटवार हल्का चाकुड़ा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 खाता संख्या 49, 219 में मेरा नाम बगली पुत्री इन्दरमल जाति कुम्हार दर्ज है। बगली के बजाय मेरा नाम भगवती पुत्री इन्दरमल करवाने की कृपा करें अतः उक्तानुसार आदेश फरमावें दिनांक	महोदयजी, निवेदन है कि मौजा चाकुड़ा के खाता संख्या 49, 219 में बगली पुत्री इन्दरमल जाति कुम्हार रेकार्ड दर्ज है। व प्रार्थिया के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में भगवती दर्ज रेकार्ड है। अतः मौजा-चाकुड़ा के खाता सं. 49, 219 में बगली पुत्री इन्दरमल के बजाय भगवती पुत्री इन्दरमल जाति कुम्हार दर्ज किया जाना उचित होगा। 20/09/2025	रिपोर्ट पत्र संलग्न है। प्रार्थी अपने स्वयं के दस्तावेजों के आधार पर शुद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः शुद्ध इन्द्राज बगली के बजाय भगवती जाने हेतु निवेदित 20-09-2025	मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार ग्राम चाकुड़ा पटवार हल्का चाकुड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता नम्बर 49, 219 में बगली के बजाय भगवती इन्द्राज किया जाने की राजस्व अनुशंषा की जाकर मूल ही प्रत्रावली श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रेषित है ।	प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र अनुसार एवं पटवारी गिरदावर एवं तहसीलदार की राजस्व अनुशंषा स्वीकार की जाती है । एवं तहसीलदार की अनुशंषा स्वीकार की जाती है । एवं तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राज0 पु0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अधीन मौजा चाकुड़ा पटवार हल्का चाकुड़ा तहसील कपासन की जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता संख्या 49, 219 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि)
चाकुड़ा	49 219	बगली	भगवती

हस्ताक्षर प्रार्थीगण	हस्ताक्षर व मोहर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	सहायक कलेक्टर कपासन
भगवती			तहसीलदार कपासन	(उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपी :– 1. तहसीलदार कपासन 2. प्रार्थी श्री ..... 3. रक्षित प्रत्रावली ।